<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/6316/2001/भीलवाडा</u>

1. अनोपी पत्नी श्रवणनाथ निवासी चावण्डिया तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ
2. लादू नाथ आत्मज स्व.देवनाथ निवासी बटवाडा तहसील माण्डलगढ
3. लाडू बाई पत्नी लादूनाथ निवासी अटावा तहसील कोटडी
4. मु.प्यारी बाई पत्नी ओंकारनाथ निवासी नदबई तहसील बेगू जिला चित्तौडगढ
5. मु.धन्नी पत्नी देवीनाथ निवासी फलासिया तहसील सिंगोली जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

अपीलार्थी

बनाम

1. भैरू नाथ पुत्र बालूनाथ जाति नाथ निवासी खटवाडा
2. छीतरनाथ पुत्र बालूनाथ जाति नाथ निवासी खटवाडा
3. नाथूनाथ पुत्र बालूनाथ निवासी खटवाडा
4. मु.रामकवंरी बेबा बालूनाथ नाम डिलीट
5. मु.रूकमा पुत्री बालूनाथ पत्नी लादूनाथ निवासी बरून्दनी तहसील माण्डलगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ

रेस्पोडेन्ट्स

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री खडग सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मदन लाल गूर्जर अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 30.7.2018

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–2000 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण के पिता वादी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88–53 के तहत एक वाद वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के न्यायालय में पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित छ तनकीयात कायम की और बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 20–8–99 से वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–10–2000 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि स्वयं विपक्षी ने वादग्रस्त आराजी को पैतृक सम्पति होना अपने जबाब दावे में स्वीकार किया

है व उक्त आराजी का कभी लिखित में बटवारा होना उन्होंने साबित नहीं किया है व विधिवत बटवारा होना किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं है। बन्दोबस्त विभाग को बटवारा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लेण्ड होल्डर की बिना स्वीकृति व धारा 53 के प्रावधानों के तहत विधिवत बटवारा कराये बिना बटवारा होना नहीं माना जा सकता। अपने कथन के समर्थन में 1999 आर बी जे पेज 481,2010 आर बी जे पेज285 की नजीरें पेश कर दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी बालूनाथ के पिता हजारीनाथ के समय ही विवादित भूमि का अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य बटवारा हो चुका था। पिछले 50 वर्षो से उभय पक्ष अलग अलग रूप से काबिज चले आ रहे हैं एवं अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। लगान भी अपने अपने हिस्से अनुसार जमा कर रहे है। विवादित आराजी अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज है न कि उनके पिता के नाम दर्ज है। उनके दादा जी के नाम से सीधे ही अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। विवादित भूमि संयुक्त खातेंदारी की कभी नहीं रही है। भूमि का कब्जा व खाता भी अलग अलग चला आ रहा है। बन्दोबस्त हुआ उससे भी पूर्व से अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी वर्तमान अनुसार काबिज हैं। उक्त बटवारा स्वयं अपीलार्थी की सहमति से हुआ है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया

तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

7. दिनांक 17–5–2010को अपीलार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त अपील में प्रत्यर्थी रामकंवरी का देहान्त हो चुका है जिसके तीन पुत्र पहले से ही रेकार्ड पर हैं। अतः रामकंवरी का नाम रेकार्ड से हजफ किया जावे। चूँकि श्रीमती रामकंवरी के कायम मुकाम पहले से ही रेकार्ड पर हैं इसलिये श्रीमती राम कंवरी का नाम रेकार्ड से हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की मुख्य दलील यह है कि बन्दोबस्त विभाग को कानूनन बटवारा करने का अधिकार नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो हम पाते हैं कि भू प्रबन्ध से वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी प्रत्यर्थी एवं अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। बन्दोबस्त के समय जो मिलान क्षेत्रफल बनाया गया उनके अनुसार जो जहां काबिज था उसी अनुरूप बटवारा किया जाता है। उस समय केवल अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी ही नहीं बल्कि अन्य सहखातेदारों को भी राजस्व रेकार्ड में अपने हिस्से के अनुसार राजस्व रेकार्ड में कायम किया गया। जो बटवारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उससे यह भली भांति स्पष्ट है कि समान लगान एवं समान भूमि के अनुसार बटवारा हुआ है। वर्तमान में लगान भी उभयपक्ष अलग अलग अपने हिस्से अनुसार जमा करा रहे हैं। उक्त तथ्य का खण्ड अपीलार्थी ने न तो अधीनस्थ न्यायालयों में किया है और न ही हमारे समक्ष किया है जिससे यह साबित हो कि जो राशि जमा कराई जाती है वह कम ज्यादा हो। इससे यह साबित होता है कि पक्षकारों के मध्य बटवारा भू प्रबन्ध से पूर्व ही हो चुका था और भू प्रबन्ध विभाग द्वारा

जो जिस प्रकार काबिज था उसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में किया है इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि बटवारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया हो या उसे बटवारे की जानकारी नही रही हो।

9. यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अपने हिस्से की भूमि को नामान्तरकरण संख्या 1070 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रहन रखी है जिसका इन्द्राज प्रदर्श–4 में किया हुआ है। उक्त इन्द्राज जमाबन्दी सम्बत 2047 से 2050 अंकित है। अपीलार्थी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है वह भूमि रहन रखने के बाद प्रस्तुत किया है। जब भूमि रहन रखी उस समय उसे राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज की जानकारी थी। इसलिये अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है कि उसे इस तथ्य की जानकारी वर्ष 1992 में हुई। अपीलार्थी ने यह कथन भी नहीं किया है कि जो भूमि राजस्व रेकार्ड में उसके नाम दर्ज है उससे भिन्न भूमि पर उसका कब्जा हो। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया है। मौखिक साक्ष्य में स्वयं अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनाक 2–1–96 को उपस्थित होकर बयान दिये हैं कि हजारीनाथ को शान्त हुये 60वर्ष हो गये हैं। मैं व मेरा भाई 20 साल का था जब ही अलग अलग हो गये। पिता के जीवनकाल में ही अलग हो गया। हमारे पिता के जीवन काल में ही हमने जमीन बांट ली थी। इसलिये अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं हो सकता कि जमीन शामलाती थी कभी कोई बटवारा नहीं हुआ, यह कथन युक्तियुक्त नहीं ठहरता है। प्रत्यर्थी ने बटवारे के बाद ही अपने हिस्से की भूमि पर कुआ खुदवाया है यह तथ्य भी गवाहान के बयानों से साबित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हम बिना किसी

ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not qcquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findkigs recorded are illegal or purchase in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

9. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष